न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–884 / 2026

साईबर थाना काण्ड संख्या–30 / 2026

1. शुभम कुमार उर्फ गोलु कुमार, उम्र–21 वर्ष, पिता–भुटन वर्मा, साकिन–सुपौल नगर परिषद, वार्ड नं0–26, थाना व जिला–सुपौल.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

29.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त यथा शुभम कुमार उर्फ गोलु कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो कि साईबर थाना काण्ड संख्या–30 / 2026, अंतर्गत धारा–79, 356 बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना।

आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के उपर लगाया गया आरोप पूर्णतः गलत है। आवेदक अभियुक्त का उम्र 21 वर्ष है तथा आवेदक में वर्णित सूचक की पत्नी ज्योति देवी पांच बच्चा की मॉ है। ज्योति देवी की प्रथम पुत्री 21 वर्ष लगभग की है तथा ज्योति देवी का उम्र–45–50 वर्ष की है। आवेदक अभियुक्त एवं ज्योति देवी का घर–मकान 100 मीटर की दूरी पर है तथा समाजिक रूप से चाची का रिस्ता बना हआ है। दोनों परिवार के सदस्य एक–दूसरे के आंगन आता–जाता है। सूचकी पत्नी ज्योति देवी का संबंध अपने पति गौतम कुमार, सूचक से ब्लड कैंसर रोक के कारण अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण ज्योति देवी समाज के लड़कों के साथ अवैध संबंध बनाने का मैसेज मोबाईल पर भेजती है तथा घर पर बुलाकर लड़को के साथ अपने मोबाईल में फोटो बनाती है, फिर लड़को के मोबाईल पर मैसेज भेजती है। आवेदक शादी–शुदा लड़का नहीं है। पुलिस के द्वारा आवेदक का मोबाईल से लिया है, जिस मोबाईल में मैसेज एवं आवाज सूचक की पत्नी ज्योति देवी के द्वारा भेजा गया का संगह किया हुआ है, जिस मोबाईल में सभी मैसेज एवं आवाज को हटाने का दबाव पुलिस द्वारा आवेदक के उपर बनाया जा रहा है, जिसे मंगाकर सुना एवं पढ़ा जा सकता है। आवेदक अभियुक्त का किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त स्थानीय निवासी है एवं फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। प्राथमिकी के साथ संलग्न ज्योति देवी के साथ आवेदक का तस्वीर अश्लील फोटो नहीं है। सूचक द्वारा लगाए गए आरोप की सम्यता अनुसंधान एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य पर निर्भर है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालने करने हेतु तैयार है। अश्लील विडियो वायरल या सोशल मीडिया से संबंधित है, तो साईबर अपराध का धारा–67 IT Act अश्लील सामग्री इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रसारित करना एवं धारा–67A IT Act 2000 यौन / अधिक अश्लील विडियो प्रसारित करना / आवेदक अभियुक्त के उपर प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। साईबर थाना में आवेदक के समान हस्ताक्षर चार–पांच सादा पन्ना पर लिया गया है तथा मोबाईल जब्त किया गया, लेकिन जब्ती सूची प्राथमिकी के साथ संलग्न नहीं है। आवेदक अभियुक्त धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 में दिये गये सभी प्रावधानों का पालन करने को तैयार है। अभियुक्त आवेदक श्रीमान् के आदेशानुसार बंध–पत्र

दाखिल करने को तैयार हैं। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

आवेदक अभियुक्त, सूचक गौतम कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित साईबर थाना काण्ड संख्या–30 / 2026, अंतर्गत धारा–79, 356 बी0एन0एस0 के अंतर्गत नामित अभियुक्त हैं। लिखित आवेदन में सूचक का आरोप है कि दिनांक–03.05.2026 को रात्रि के करीब 08:30 बजे सूचक की पत्नी ज्योति देवी का आपत्तिजनक विडियो वायरल कर दिया। शुभम कुमार उर्फ गोलू कुमार गलत प्रवृति का व्यक्ति है और ये अपराधियों के साथ रहता है। सूचक गौतम कुमार विगत 12 वर्षों से ब्लड कैंसर से पीड़ित है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय पक्ष का बहस सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त हैं और इनके उपर सूचक की पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका–2 में सूचक गौतम कुमार का पुनः बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने प्राथमिकी में वर्णित घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका–6 एवं 7 में साक्षीगण का बयान अंकित है, इन्होंने भी अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। कंडिका–14 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से एक आपराधिक कांड दर्ज होने का उल्लेख है। आवेदक अभियुक्त को बी0एन0एस0एस0 की धारा–35 के तहत बंध–पत्र पर मुक्त किया गया था एवं इन्हें गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने पर बंध–पत्र पर छोड़ा गया था। आवेदक अभियुक्त पुलिस द्वारा दिये गये जमानत का दुरूपयोग नहीं किये हैं। आवेदक अभियुक्त 21 वर्ष का लड़का व्यक्ति है। आवेदक अभियुक्त पर लगाया गया आरोप जमानतीय प्रकृति का है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त यथा शुभम कुमार उर्फ गोलु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त की गिरफ्तारी या आत्म–समर्पण की स्थिति में इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0–10,000 / –रुपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंध–पत्र प्रस्तुत करने पर बी0एन0एस0एस0 की धारा–482(2) के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, आवेदक अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे और प्रस्तुत मामले के विचारण में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं करने पर विचारण न्यायालय आवेदक अभियुक्त का बंध–पत्र खंडित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-
(तेज प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।